(49)

पुनरिक्षण याचिका क्र.   / 2017
प्रस्तुती दिनांक :- 19.07.2017

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल, म.प्र.

PBR/निगरानी/इन्दौर/भू.रा./2017/2412

श्रीमती अनिता पति दिनेश मित्तल, ...पुनरिक्षणकर्ता / प्रार्थी,

विरूद्ध

श्री मोहन पिता कन्हैयालाल व अन्य   ..... प्रत्यार्थीगण

आवेदन शिघ्र सुनवाई बाबद

पुनरिक्षणकर्ता तर्फे निवेदन है कि :-

1) यह कि, पुनरिक्षणकर्ता द्वारा माननीय न्यायलय के समक्ष एक पुनरिक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 के तहत श्रीमान अपर आयुक्त (राजस्व), इन्दौर, रेवेन्यु द्वितीय अपील प्रकरण क्र. 96 / 2016-17 में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR / निगरानी / इंदौर / भू.रा. / 2017 / 2412

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/7/17	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के आदेश दिनांक 10–7–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त ने पूर्व में उनके द्वारा स्थगन आवेदन पत्र अमान्य किये जाने तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का कियान्वयन हो जाने के कारण आवेदिका का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया है, जो कि उचित कार्यवाही है । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का कियान्वयन हो चुका है, ऐसी स्थिति में आवेदिका के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत 2015 (4) एम.पी.एल.जे. 312 पर विचार नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	